भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1932

जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है।

.....

मध्य प्रदेश में परियोजनाएं

1932. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं के नाम क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश के छोटे शहरों के लिए कोई विशेष परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय के अंतर्गत पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या जनजातीय क्षेत्रों में जल शक्ति से संबंधित परियोजनाओं के लिए पंचायत स्तर पर कोई विशेष अनुदान प्रदान किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडू)

(क) से (घ): जल संसाधन परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा उनके संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के आधार पर नियोजित, वित्त पोषित, कार्यान्वित एवं अनुरक्षित की जाती हैं। भारत सरकार की भूमिका उत्प्रेरक की है जो तकनीकी सहायता प्रदान करती है तथा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित मौजूदा योजनाओं को कुछ मामलों में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 -16 के दौरान शुरू की गई प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), देश में सभी कृषि खेतों हेतु सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने और "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" का उत्पादन करने तथा अधिक वांछित ग्रामीण समृद्धि लाने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। पीएमकेएसवाई में निम्नांकित घटक जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), हर खेत को पानी (एचकेकेपी), कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन(सीएडीडब्ल्यूएम), सतह लघु सिंचाई (एसएमआई), जल निकायों की मरम्मत, पुनरूद्धार एवं नवीकरण और भूजल सिंचाई शामिल है।

2016-17 के दौरान, दिनांक 01.04.2016 को मध्य प्रदेश के पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत 3404.21 करोड़ की शेष अनुमानित लागत वाली 14 वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (और 7 चरणों) को प्राथमिकता दी गई है। इन 14 परियोजनाओं (और 7 चरण) में

से 10 परियोजनाओं (और 3 चरणों) के एआईबीपी कार्य पूरे होने की सूचना है। 2016-17 से 2020-21 के दौरान मध्य प्रदेश में इन 14 (और 7 चरण) परियोजनाओं द्वारा 175.15 हजार हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इन 10 पूर्ण परियोजनाओं में से 03 परियोजनाएं, सिंहपुर परियोजना, सिंध परियोजना फेज-।। और बैरियापुर एलबीसी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ती हैं और 2016-17 से 2020-21 के दौरान 39.63 हजार हेक्टर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इन परियोजनाओं का विवरण **अनुलग्नक-।** में दिया गया है।

सीएडीडबल्यूएम कार्यक्रम के अंतर्गत, दिनांक 01.04.2016 तक मध्य प्रदेश की 14 परियोजनाओं की अनुमानित लागत 2536.98 करोड़ रूपए है। राज्य सरकार से योग्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर समय-समय पर सीएडीडब्ल्यूएम कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। चालू सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के लिए 2016-17 से 2020-21 की अवधि हेतु जारी की गई केंद्रीय सहायता और कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) के संदर्भ में प्राप्त प्रगति का विवरण **अनुलग्नक-।।** में दिया गया है।

सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनरूद्धार (आरआरआर) की योजना जल निकायों की एसएमआई और आरआरआर के तहत सिंचाई क्षमता के निर्माण और पुनर्भरण के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजनाओं के तहत, मध्य प्रदेश को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए 276 एसएमआई योजनाओं के कुल 4 समूहों को शामिल किया गया था। योजनाओं की कुल अनुमानित लागत 1.11 लाख हेक्टेयर के नियोजित सम्भाव्य उत्पादन सहित 1817.39 करोड़ रु थी। अब तक, केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल 987.69 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और योजनाओं पर कुल 0.65 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता प्राप्त की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में जल निकायों की योजनाओं की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार (आरआरआर) के तहत 125 जल निकायों के समूह को शामिल किया गया था। योजना की अनुमानित लागत 0.33 लाख हेक्टेयर के नियोजित सम्भाव्य उत्पादन सहित 183.2421 करोड़ रु है। अब तक, केंद्रीय सहायता के रूप में 37.70 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और योजना पर 0.33 लाख हेक्टेयर का सिंचाई क्षमता प्राप्त की जा चुकी है।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप) चरण-। को अप्रैल 2012 से मार्च 2021 के दौरान लागू किया गया था, मध्य प्रदेश के 25 बांधों का 146 करोड़ रु की लागत से पुनरूद्धार किया गया था। ड्रिप चरण-। के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पुनर्वासित बांधों की सूची **अनुलग्नक-।।।** मे दी गई है। भारत सरकार ने हाल ही में बांधों के पुनर्वास और सुधार परियोजना के लिए फेज-।। और फेज-।।। आरंभ किया है जिसमें मध्य प्रदेश की 26 परियोजनाओं को 186 करोड़ रु की लागत पर पुनर्वास उपायों के लिए चिन्हित किया गया है। मध्य प्रदेश में ड्रिप फेज-।। व ।।। के तहत प्रस्तावित बांधों की सूची **अनुलग्नक-IV** में दी गई है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में राष्ट्रीय जलभृत चित्रण एवम प्रबंधन कार्यक्रम लागू कर रहा है।

अटल भूजल योजना(अटल जल) मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों के चिन्हित जल अभावग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी और सतत भूजल प्रबंधन हेतु मांग पक्ष पर किए जा रहे प्रयासों पर है। इस योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश के 6 जिलों अर्थात छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना एवं निवारी के 9 ब्लॉक एवं 672 ग्राम पंचायत में किया जा रहा है।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना द्वारा 90.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसका उद्देश्य जल संसाधनों की सूचना की सीमा, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार, बाढ़ हेतु और बेसिन स्तर की संसाधन मूल्यांकन/योजना के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली और जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से भारत में मध्य प्रदेश सहित जल संसाधन कर्मियों और प्रबंधन संस्थानो की लक्षित क्षमता को मजबूत करना है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] को ग्राम/पंचायत स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 2014 से देश के ग्रामीण क्षेत्रों को 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। एसबीएम (जी) के तहत, अब तक देश भर मे 10.86 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया है और 2 अक्टूबर, 2019 तक सभी गांवों ने खुद को ओडीएफ घोषित कर दिया है। ओडीएफ के परिणाम को प्राप्त करने के उपरांत, एसबीएम (जी) के दूसरे चरण को अब इस ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने और 2024-25 तक सभी गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ कवर करने के लिए, अर्थात गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में परिवर्तित करने पर विशेष ध्यान देने के साथ लागू किया जा रहा है । एसबीएम (जी) के तहत, वार्षिक बजट आवंटन का 10% जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के लिए निर्धारित किया गया है।

भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक 3.60 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य जल उपलब्ध कराना है। चूंकि जल राज्य का विषय है, पेयजल के प्रावधान के लिए उपलब्ध संसाधनों का कार्यान्वयन और कुशल प्रबंधन राज्य सरकार के दायरे में आता है। यह विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जेजेएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय आवंटन के समय, पेयजल और स्वच्छता विभाग, ग्रामीण अनुसूचित जनजाति की आबादी को 10% अतिरिक्त लाभ देता है। इसके अलावा, जेजेएम के तहत वित्त के वार्षिक आवंटन का 10% जनजातीय उप-योजना/एसटीसी घटक के तहत अलग से निर्धारित किया गया है। जेजेएम के अंतर्गत यह भी

परिकल्पित किया गया है कि ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति/स्थानीय समुदाय गांव में जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे की योजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा, जिससे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एफएचटीसी की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति अर्थात ग्राम जल तथा स्वच्छता समितियां/पानी समिति/उपयोगकर्ता समूह इत्यादि संविधान के 73वें संशोधन में परिकल्पित कानूनी इकाई के रूप में कार्य करेंगे। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था के लिए 06.12.2021 तक मध्यप्रदेश को 2558.39 करोड़ (वित्त वर्ष 2021-22 के लिए) रुपये की राशि जारी की गई है।

*****

अनुलग्नक-I

"मध्य प्रदेश में परियोजनाएं" विषय पर दिनांक 09.12.2021 को लोक सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1932 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 01.12.2021 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में एआईबीपी परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना	लाभान्वित जिले	वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रू. में)	वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान सृजित क्षमता (ह.हे.) में
1	सिंहपुर परियोजना	छतरपुर (बी)	1.94	6.63
2	महुआर परियोजना	शिवपुरी	0.00	8.77
3	सगड़ परियोजना	विदिशा	2.50	2.67
4	सिंध परियोजना चरण II	शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया (बी), भिंडी	35.52	31.51
5	इंदिरा सागर परियोजना नहर चरण - I और II (किमी. 0 से किमी. 142)	खंडवा, खरगाँव	23.68	8.60
	ओंकारेश्वर परियोजना नहर चरण- IV (ओएसपी लिफ्ट)	खंडवा, खरगोन और धारो	69.58	10.60
	इंदिरा सागर परियोजना नहर चरण - V (खरगोन लिफ्ट)	खंडवा, खरगाँव बड़वानी	9.51	22.61
6	बाणसागर यूनिट 2	रीवा, सतना, सीधी, शहडोल	68.02	5.67
7	बरियारपुर एलबीसी	छतरपुर (बी)	6.62	1.49
8	संजय सागर (बाह) परियोजना	विदिशा	2.99	4.45
	बरगी डायवर्जन परियोजना चरण - I (किमी 16 से किमी 63)	जबलपुर, सतना, रीवा	8.54	2.01
9	माही परियोजना	धार, झाबुआ	5.97	5.96
10	महान परियोजना	सीधी	8.03	5.19
	ओंकारेश्वर परियोजना नहर चरण- II (आरबीसी किमी। 9.70 से किमी 65.50)	खंडवा, खरगाँव, धारो	16.91	3.39
11	ओंकारेश्वर परियोजना नहर चरण- III (आरबीसी किमी। 65.50 से किमी 142)	धार	31.93	2.62
	बरगी डायवर्जन परियोजना चरण - II (किमी 63 से किमी 104)	जबलपुर, सतना, रीवा	12.24	3.81
	इंदिरा सागर परियोजना नहर चरण - III (किमी। 143 से किमी। 206)	बड़वानी	105.91	13.99
12	पेंच परियोजना	सिवनी, छिंदवाड़ा	15.48	25.27
13	इंदिरा सागर परियोजना नहर चरण - IV (किमी. 206 से किमी. 243)	बड़वानी	85.47	9.20
14	बरगी डायवर्जन परियोजना चरण - III (किमी। 104 से किमी 154)	जबलपुर, सतना, रीवा	86.72	0.00
	बरगी डायवर्जन परियोजना चरण - IV (किमी. 154 से किमी 197)	जबलपुर, सतना, रीवा, कटनीक	11.28	0.73
उप-योग		छतरपुर (बी)		**175.15**

अनुलग्नक-II

"मध्य प्रदेश में परियोजनाएं" विषय पर दिनांक 09.12.2021 को लोक सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1932 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

मौजूदा सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के लिए कल्चरेवल कमान क्षेत्र के रूप में जारी की गई केंद्रीय सहायता और प्राप्त की गई प्रगति का विवरण

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रू. में)	वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान सृजित क्षमता (ह.हे.) में
1	सिंध परियोजना चरण II	93.030	69.58
2	इंदिरा सागर परियोजना	6.64	6.69
3	माही परियोजना	21.086	15.32
4	बरियारपुर एलबीसी	16.096	10.64
5	बाणसागर इकाई	68.425	52.44
6	महान परियोजना	11.61	8.62
7	पेंच परियोजना	24.102	18.97
8	सगड़ परियोजना	9.597	8.693
9	सिंहपुर परियोजना	4.92	5.12
10	संजय सागर (बाह) परियोजना	4.58	7.26
11	माहूर परियोजना	9.674	8.41
12	ओंकारेश्वर परियोजना	10.053	29.99
13	बरगी डायवर्जन परियोजना चरण- I	5.98	0.00
14	बरगी डायवर्जन परियोजना चरण- II	8.96	0.00
	कुल	**294.76**	**248.42**

अनुलग्नक-III

"मध्य प्रदेश में परियोजनाएं" विषय पर दिनांक 09.12.2021 को लोक सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1932 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

ड्रिप चरण-I के तहत मध्य प्रदेश के पुनर्स्थापित बांध

क्र.सं	बांध का नाम	क्र.सं.	बांध का नाम
1.	अरी बांध	14.	कुंवर चेन सागर
2.	अरनिया बहादुरपुर	15.	मकरोदा बांध
3.	बरना बांध	16.	मरही बांध
4.	बुंदाला बांध	17.	मूरुमनाल्ला बांध
5.	चांदपठा बांध	18.	नहलेसरा बांध
6.	चंद्रकेशर बांध	19.	सम्पना बांध
7.	धोलाबाद दाम	20.	संजय सागर बांध
8.	गोपी कृष्णा सागर	21.	संजय सरोवर बांध
9.	झिरभर बांध	22.	सारथी बांध
10.	कन्हरगाँव बांध	23.	तवा बांध
11.	कांकेरखेड़ा	24.	थानवेर बांध
12.	खराडी	25.	उमरार बांध
13.	कोलार बांध		

अनुलग्नक-IV

"मध्य प्रदेश में परियोजनाएं" विषय पर दिनांक 09.12.2021 को लोक सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 1932 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

ड्रिप-II एवं III के लिए मध्य प्रदेश के प्रस्तावित बांध

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**
1	भगवंत सागर (सूक्त) परियोजना
2	बीरपुर टैंक परियोजना
3	चंडिया नाला टैंक परियोजना
4	चंदोरा परियोजना
5	कोरल परियोजना
6	देपालपुर टैंक परियोजना
7	दोकरीखेड़ा परियोजना
8	गांधीसागर परियोजना
9	हाथीखेड़ा परियोजना
10	कचन टैंक परियोजना
11	काका साहेब गाडगिल सागर परियोजना
12	कलियासोटे परियोजना
13	केरवान बांध परियोजना
14	कुडा टैंक परियोजना
15	माही परियोजना
16	मंसूरवारी टैंक परियोजना
17	मटियारी परियोजना
18	नंदनवारा टैंक परियोजना
19	पोइपलियाकुमार टैंक परियोजना
20	राजघाट बांध
21	रेटम बैराज
22	रूमल टैंक परियोजना
23	रूपनियाखाल टैंक परियोजना
24	सकलदा टैंक परियोजना
25	टिलर परियोजना
26	वीर सागर टैंक परियोजना

*****